

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 45/2016

चुन्नीलाल पुत्र खेमराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थी

बनाम

1. प्रेमनाथ पुत्र अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 57/2016

खेमराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रेमनाथ पुत्र अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला  
श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 10.03.2016

उपस्थिति:-

श्री भगवान दत्त भार्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. ।

श्री भयाम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय

दिनांक :- 08.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रेमनाथ ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 188, 209 व धारा 109, 110, 111 एल आर एक्ट के तहत पेश कर चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.न. 233/14 के कि.न. 2, 3, 8, 9, 12 से 14, 17 से 19, 22 से 25 की 14 बीघा व प.न. 233/15 के कि.न. 11, 12, 16 से 25 की 12 बीघा कुल 26 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटी काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निशेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी स्टेट ने जबाव दावा पेश कर स्टेट के हित को ध्यान में रखकर वाद का निर्णय करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 10.03.2016 को वाद वादी स्वीकार कर वादी को 12 बीघा भूमि का गैरखातेदार पुख्ता आवंटी घोषित करने के आदेश दिये एवं 13 बीघा भूमि को रकबा राज घोषित करने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध उक्त दोनों अपीलें पेश हुई हैं। दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध होने से उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।



उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिषेक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांत को बिना सुने एवं पक्षकार बनाये पारित किया है। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है फिर भी उसे गैरखातेदार घोषित कर दिया। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है उसके द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीबंगानगर (राज.)

सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। मामला वादी एवं सरकार के मध्य था। अतः दोनों ही अपीले खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा अपीलें पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपीलें पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील सं. 45/2016 चुन्नीलाल बनाम प्रेमनाथ व अपील सं. 57/2016 खेमराम बनाम प्रेमनाथ अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 10.03.2015 के विरुद्ध पेश की है जिसका निर्णय भी एक ही किया जाता है। जिसमें रेस्पों. का दावा स्वीकार होकर उसकी खातेदारी की घोषणा की गई है जिसपर अपीलांट का कब्जा होने से अपील अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।



अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय के निर्णय का सार है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2042 रोही हरदासवाली के ख.नं. 122/10 में 30 बीघा भूमि का वादी अस्थाई काश्तकार दर्ज है तथा पुख्ता आवंटन पट्टा अनुसार भी वादी ख.नं. 122/10 में 15 बीघा कमाण्ड व 10.14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी काश्तकार है। पुख्ता आवंटन अनुसार वादी द्वारा किश्त भी जमा करवायी जा चुकी है। वादी द्वारा अपने शपथ पत्र व गवाहों के शपथ पत्र से अपना कब्जा काश्त साबित किया है। वादी के कब्जा काश्त का रकबा उसके ही ख.नं. 122/10 से पैमूद हुआ है। चकबन्दी मुताबिक कब्जा काश्त फिटिंग की जानी चाहिए थी। इसलिए वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। इस निर्णय के विपरीत अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपनी

2/11/18  
05/11/18  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
श्रीमंगलम्बर (राज.)

लिखित बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी पर रेषों. का कब्जा नहीं है तथा विवादित आराजी चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. का प.नं. 233/14 के कि.नं. 24, 25 पेमाराम के नाम पुख्ता आवंटन दर्ज है तथा शेष आराजी पर अपीलांट का बहैसियत अतिकमी कब्जा है जिसके नियमन की कार्यवाही जैरकार है। अतः अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

रेसों. अभिभाषक द्वारा अपीलांट के कथनों का प्रतिकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रेमनाथ के विरुद्ध पेश की है जबकि अधी. न्यायालय में अनवान प्रेमनाथ बनाम सरकार के रूप में पेश होकर विवेचित होकर निर्णय हुआ है। अतः अपील अनवानी चुन्नीलाल बनाम सरकार व खेमाराम बनाम सरकार होकर सीपीसी की धारा 96 की अनुमति मिलने पर अपीलांट की Locus-standai बनती है। अतः Admission स्तर पर तकनीकि आधार पर अपीलें खारिज करने का अनुरोध किया तथा अपनी बहस में जाहिर किया कि इस अपील के विवाद से Inter link अपील सं. 23/2016 प्रेमनाथ बनाम खेमाराम में अपीलांट खेमाराम ने तथ्य छुपाकर आवंटन का प्रकरण में भी आज बहस की गई है जिसके अनुसार विवादित आराजी से खेमाराम का नाम विलोपन योग्य है तथा चुन्नीलाल



के Status अतिकमी का है। अतः दोनों ही अपीलें खारिज करने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण करने एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर अपील सं. 23/2016 का निर्णय अपीलांट प्रेमनाथ तथा इस अपील में रेषों. के पक्ष में विवेचित होकर अपील स्वीकार की गई है जो इस अपील के Subsequent effect में अपील खारिज योग्य है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से दोनों ही अपीलें उपरोक्त विवेचन अनुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2042 रोही हरदासवाली के ख.नं. 122/10 में 30 बीघा भूमि का वादी अस्थाई काश्तकार दर्ज है तथा पुख्ता आवंटन पट्टा अनुसार भी वादी ख.नं. 122/10 में 15 बीघा

2/10/15  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीरगाम्बर (रज.)

कमाण्ड व 10.14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी काश्तकार है। पुख्ता आवंटन अनुसार वादी द्वारा किश्त भी जमा करवायी जा चुकी है। वादी द्वारा अपने शपथ पत्र व गवाहों के शपथ पत्र से अपना कब्जा काश्त साबित किया है। वादी के कब्जा काश्त का रकबा उसके ही ख.नं. 122/10 से पैमूद हुआ है। अपील सं.

45/2016 चुन्नीलाल बनाम प्रेमनाथ संशोधित अनुमान चुन्नीलाल बनाम सरकार व अपील सं. 57/2016 खेमाराम बनाम प्रेमनाथ संशोधित अनवान खेमाराम बनाम सरकार खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(प्रेमराम परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर